



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी पारस,
सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : गी०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/2012
दिनांक : 25/07/2012

सेवा में
निदेशक,
चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ फार्मेसी,
कौशांबी।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-2012 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
मस्येदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2723/सोल्ड 1-2010-13/13/2010, दिनांक 19 जुलाई, 2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 में चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ फार्मेसी, कौशांबी को वी०फार्म० पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्वतंत्र पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु दिनांक 1-7-2011 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस वी०प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना सग्य से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दशोगी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गई फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2012-13 की सम्बद्धता निरन्तरण की सस्ती की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत कितनी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा। उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वी०फार्म० पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं नियमतः फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगी।
9. जिन संस्थाओं की आभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय रतार से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
10. संस्था द्वारा प्रवेश में उ०प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकरिमक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठंकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति / श्री मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की प्रभावली।

Singh
PRINCIPAL

Chandra Shekhar Singh
College of Pharmacy

Kotlika, Sitapur, Uttar Pradesh

(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव